स्थापना : 1982

Rajasthan Legal Service Council Jaipur

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./ 33

दिनांक : 12.10.2021

बैठक कार्यवाही विवरण

राजस्थान विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में विधि सेवा परिषद की कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 12.10.2021 को दोपहर 1.30 बजे शासन सचिवालय जयपुर में आयोजित की गई ।

बैठक में कोषाध्यक्ष द्वारा परिषद का दिनांक 01.07.2020 से 12.10.2021 तक का आय–व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया, जिसका उपस्थित सभी सदस्यों ने अनुमोदन किया।

बैठक में परिषद् के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र सिंह एवं उपस्थित सदस्यों द्वारा विचार – विमर्श पश्चात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

1. वेतन विसंगति के संम्बध में राज्य सरकार द्वारा श्री खेमराज चौधरी आई.ए.एस. (सेवानिवृत) की अध्यक्षता में गठित नवीन वेतन विसंगति समिति के समक्ष विधि सेवा अधिकारियों की वेतन विसंगति के सम्बध में नवीन ज्ञापन तैयार कर शीध्र प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया ।
2. परिषद् का कार्यकाल शीध्र ही पूर्ण होने वाला है, इसलिए नवीन चुनाव हेतु निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की कार्यवाही परिषद् के संविधान अनुसार नवम्बर माह में किये जाने का निर्णय लिया गया ।
3. वेबसाईट अपडेशन हेतु मासिक व्यय 500/– से बढाकर 650/– प्रतिमाह करना तथा लिपिक कार्य हेतु मासिक व्यय 500/– प्रतिमाह स्वीकृत करने के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया ।
4. राज्य वादकरण नीति के बिन्दु सं0 28 में समस्त विधि अधिकारियों को प्रशिक्षण देने, रिफेशर कोर्स कराने का प्रावधान है, इस हेतु अनुमानित व्यय राशि का बजट आंवटन किये जाने की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है, अतः इसके लिए विधि विभाग को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया है । चूंकि विधि विभाग के स्तर से प्रशिक्षण दिलाने में समय लग सकता है,इस कारण से नवीन कनिष्ठ

12.10.2021

विधि अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु परिषद् के स्तर पर प्रशिक्षण की कार्यवाही कराने का निर्णय लिया गया ।

5. कनिष्ठ विधि अधिकारियों एवं वरिष्ठ विधि अधिकारियों की लम्बित पदोन्नति समिति की बैठक शीघ्र आयोजित कराने हेतु परिषद् के अध्यक्ष द्वारा विधि विभाग को निवेदन किये जाने हेतु प्रस्ताव स्वीकार गया ।
6. कनिष्ठ विधि अधिकारियों की पदोन्नति उपरान्त रिक्त पदों पर नवीन भर्ती हेतु शीघ्र विज्ञापन जारी कराने हेतु विधि विभाग को ज्ञापन दिये जाने का निर्णय लिया गया ।
7. विधि सेवा परिषद् की स्मारिका/ डायरी शीघ्र बनवाने हेतु निर्णय लिया गया।
8. पूर्व में परिषद की कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 09.04.2021 में लिये गये निर्णयों में से वरिष्ठ विधि अधिकारी से सहायक विधि परामर्शी के पद पर सेवा नियमो में 5 वर्ष का कार्यानुभव को कम करके 3 वर्ष किये जाने हेतु नियमों में संशोधन हेतु पुनः अभ्यावेदन दिये जाने के निर्णय सहित अन्य शेष बिन्दुओं पर परिषद् की ओर से कार्यवाही करने हेतु विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति द्वारा कियान्वयन हेतु निर्णय लिया गया ।

उपरोक्तानुसार निर्णय लिये जाने के पश्चात कार्यकारिणी की बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई ।

12.10.2021

(सुरेश चन्द शर्मा)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद्

प्रतिलिपिः प्रवक्ता राजस्थान विधि सेवा परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

12.10.2021
महासचिव